(प्रशासन गांव के संग अभियान 2021)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या -99/2017 दिनांक : 18.11.2021

अनवान

बाबुलाल पिता गुलाब जी उर्फ नानूराम जाति आचार्य उम्र वयस्क

निवासी भादसोडा तहसील भदेसर।

................वादी

।। बनाम ।।

1- मांगीलाल पिता गुलाब जी उर्फ नानूराम जाति आचार्य उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर

2- नारायण पिता गुलाब जी उर्फ नानूराम जाति आचार्य उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर

3- सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..............प्रतिवादीगण

//निर्णय//

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 रा.का.अधि.

उपस्थित -श्री मोहम्मद रईस वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188,209 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :-

1. कि मौजा भादसोडा तहसील भदेसर के आराजी नम्बर 2078 रकबा 0.60 हैक्टेयर स्थित है जिसके साबिक सेटलमेंट में आराजी नम्बर 1672 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा लगानी 3.50 रू. दर्ज रही है। जो वादी एवं प्रतिवादी 01 से 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की हिस्सा वादी का एवं 1/3 हिस्सा प्रत्येक प्रतिवादी का है। सी अनुसार मौके काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

2. कि उक्त आराजी पूर्व में भी कानमल पिता खूबचंद महाजन निवासी भादसोडा के नाम अन्य आराजीयात के साथ दर्ज चली आ रही थी व पुरा खाता उक्त साबिक आराजी नम्बर 1672 को शामिल करते हुए 21 बीघा 10 बिस्वा लगानी 12 रूपये का था तथा खातेदार कानमल ने अपना पूरा साबिक खाता 21 बीघा 10 बिस्वा जिसका साबिक खाता सं. 592 संवत् 2021 था व वादी के पिता गुलाबजी उर्फ नानूराम पिता उंकार जी अचारत को विक्रय कर कब्जा दे दिया। मिति जेठ बुदी 10 संवत 2022 मुताबिक दिनांक 26.05.1965 को किंतु सहवन से विक्रय पत्र में कातिब दस्तावेज आराजी नम्बर 1672 लिखना भूल गये जबकि रकबा व लगान 1672 को शरीक करते हुए पुरा लिखा। मात्र नम्बर लिखना रह गया व कब्जा दिनांक 26.05.1965 से ही वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 के पिता गुलाबजी का व गुलाबजी के बाद से लगातार वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 का चला आ रहा है। बहनामे में सहवन से आराजी नम्बर 1672 लिखना रह जाने से उसका दाखिल खारिज नहीं हो सका तथा कानमल के खातेदारी में ही रही । इस गलती का पता वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 को उस समय नहीं चल सका इसी दोरान कानमल जी का देहांत हो गया। उक्त आराजी नम्बर 1672 बाद सेटलमेंट के नवीन आराजी नम्बर 2078 जिससे आगे वादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया जाएगा। कानमल के लडको रतनलाल एवं पूरणमल की खातेदारी में विरासतन दर्ज हो गया। बाद में भूल का पता चलने पर तीनो भाईयो वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 ने कानमल जी के लडको से उक्त आराजी का बिकावन [illegible] का तय किया व वादी अपनी पुलिस की नौकरी के कारण [illegible] रहने से वादग्रस्त आराजी की बिकाव की कीमत पेट हिस्से अनुसार 2600 रू. वादी ने व 2600 रू. प्रतिवादी सं 02 ने प्रतिवादी सं. 01 को दी। प्रतिवादी सं. 02 मंदबुद्धि भोला भाला होने से प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

01 को तीनो के नाम से जमीन खरीदने को कहा इसके बाद वादी अपनी नौकरी के सिलसिले में दूर दराज के इलाको में तैनात रहा व जब वादी छुट्टी पर घर आया तो प्रतिवादी सं. 01 से आराजी के विकाव बावत मालूमात की तो उसने वादग्रस्त आराजीयात तीनो भाईयो की शामलाती खरीद होने का वादी एवं प्रतिवादी सं. 02 के नाम का स्टाम्प पर पोष शुदि 2040 का लिखा दिया। आराजी पर कब्जा दिनांक 26.05.1965 से वादी के पिता व वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 का लगातार चला आ रहा होने से वादी उक्त खरीद करने के स्टाम्प पर जिसमें आराजी का वंट्वाडा भी किया हुआ मुगालते में आ गया। वह यही समझता रहा आराजीयात तीनो भाइयों के नाम पर है।

3. कि वादी की अन्य आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता वादग्रस्त आराजीयात के वादी के 1/3 हिस्से पर से होकर है। वादी के उस समय पुलिस में नौकरी होने से उसका लडका श्याम लाल ही आराजीयात की देखभाल करता था। करीब 15 दिवस पूर्व श्यामलाल ने उक्त आराजीयात पर साफ-सफाई का कार्य करा तो प्रतिवादी सं. 01 व उसके लडके ने आकर झगडा किया व वादी को वेदखल करने की धमकी दी। जिस बाबत वादी ने जानकारी ली तो पता चला की उक्त आराजीयात अकेले प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज है। इसलिये वादी की ओर से वादपत्र बावत वंट्वाडा, घोषणा अराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. ऐसी हालत में वादी नवीन आराजी नं. 2078 रकबा 0.60 हैक्टेयर जिसके साविक आराजी नम्बर 1672 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जिसे वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की घोषित करते हुए बंटवाडा करा अपना 1/3 हिस्सा अलग खातेदारी में करावे एवं प्रतिवादी सं. 01 को वादग्रस्त आराजीयात में वादी के कब्जे में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...ेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भादसोडा प0ह0 भादसोडा की आराजी नं. 2078 रकबा 0.60 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 का दर्ज कराये जाने की डिक्री पारित फरमावे एवं बाद खातेदारी घोषणा उपरोक्त आराजीयात का हिस्से अनुसार बंटवाडा कराये जाने की डिक्री पारित फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली केम्प कोर्ट भादसोडा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में प्रस्तुत हुई। वकील वादी द्वारा बहस की गई। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी द्वारा पूर्व में साक्ष्यवादी में वादी बाबुलाल, गवाह अशोक कुमार एवं प्रभुलाल के शपथ पत्र पेश किये गये है एवं दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। वादी द्वारा बंटवाडा नहीं चाहने से धारा 53 की दाद खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम भादसोडा प0ह0 भादसोडा की आराजी नं. 2078 रकबा 0.60 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 संयुक्त रूप से 2/3 हक हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारिज की जाती है। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

Scanned with CamScanner